तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.64/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
05.6.2023	पत्रावली आज पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी रामकुमार माली पुत्र डायालाल जी माली, जाति– माली, निवासी– कृष्णापुरी, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म बालाजी स्टोर, पेलेस रोड, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र चौधरी उपस्थित।	

आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 19.2.2022 को फर्म बालाजी स्टोर, पेलेस रोड, सिरोही में प्रतिवादी रामकुमार माली से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Compounded Hing (Masalos Brand) का नमूना संख्या S-1718 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./568/Act/2022/564 दिनांक 03.3.2022 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की ओर से उसके अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र चौधरी उपस्थित हुये। प्रकरण में दिनांक 26.5.2023 को प्रतिवादी रामकुमार माली ने जरिये अधिवक्ता जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी को सुना गया, जिसने अनुरोध किया कि प्रतिवादी का व्यापार छोटा है। प्रतिवादी ने मिथ्याछाप हींग (मासालोज) का निर्माण नही किया है। उसने उक्त हींग (मासालोज ब्राण्ड) को दूसरी फर्म से क्रय किया था। यह उसका प्रथम अपराध है। अतः कम से कम ज़ुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शार्म, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही (हाल निलम्बित) ने दिनांक 19.2.2022 को फर्म बालाजी स्टोर, पेलेस रोड, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही में प्रतिवादी रामकुमार माली पुत्र [illegible] जी माली, जाति– माली, निवासी– कृष्णापुरी, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही से दुकान के अन्दर [illegible] के
......लगातार

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:28:55 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.64/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीत.ामिल में जारी हुए
	बेक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ Compounded Hing (Masalos Brand) के 22 पैक्ड कंटेनर (प्रत्येक 100 ग्राम) में से खाद्य पदार्थ Compounded Hing (Masalos Brand) के 4 पैक्ड कंटेनर (प्रत्येक 100 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ Compounded Hing (Masalos Brand) के नमूना संख्या S-1718 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./568/Act/2022/564 दिनांक 03.3.2022 के अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। चूंकि प्रकरण में प्रतिवादी ने उक्त खाद्य पदार्थ Compounded Hing (Masalos Brand) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया है। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी रामकुमार माली ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Compounded Hing (Masalos Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत प्रतिवादी रामकुमार माली पुत्र डायालाल जी माली, जाति– माली, निवासी– कृष्णापुरी, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म बालाजी स्टोर, पैलेस रोड, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही पर राशि रुपये 3,000/– (अक्षरे रुपये तीन हजार मात्र) का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। प्रतिवादी रामकुमार माली को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की [illegible] जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 04.7.2023 [illegible] पेश [illegible] Signature Not Verified Digitally signed by Kalu Ram Khod Date: 2023.07.21 17:28:55 IST Reason: SelfAttested (के.आर. खोड़) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001.	